

क्रमांक एफ-ए-३-३३-२०१९-१-पांच (६१)-

भोपाल, दिनांक 07 अगस्त 2019

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 55 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 95(क) में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के प्रस्थान वाले क्षेत्रों में स्थापित उन खुदरा बिक्री की दुकानों को, जो कि बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को वस्तुओं की कर मुक्त आपूर्ति करती हैं, ऐसे व्यक्तियों के एक वर्ग के रूप में विनिर्दिष्ट करती है जो ऐसे वस्तुओं की आंतरिक आपूर्ति पर अपने द्वारा भुगतान किए गए राज्य कर के रिफंड के लिए हकदार होते हैं।

स्पष्टीकरण : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, अभिव्यक्ति “बाहर जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक” से अभिप्राय ऐसे व्यक्तियों से है जो कि भारत के सामान्य निवासी नहीं हैं, जो भारत में वैध और अस्थायी रूप से न बसने के लिए छः महीने से अनधिक अवधि तक के लिए ठहरने के लिए भारत आते हैं।

2. यह अधिसूचना 01 जुलाई, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिचारिया, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 7 अगस्त 2019

क्र. एफ.ए ३-३३-२०१९-१-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-३-३३-२०१९-१-पांच-(६१), दिनांक 07 अगस्त 2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. रिचारिया, उपसचिव.

Bhopal, the 7th August 2019

No. F A 3-33/2019/1/V (61) In exercise of the powers conferred by section 55 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby specifies retail outlets established in the departure area of an international airport, beyond the immigration counters, making tax free supply of goods to an outgoing international tourist, as class of persons who shall be entitled to claim refund of applicable state tax paid on inward supply of suchgoods, subject to the conditions specified in rule 95A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017.

Explanation. -For the purposes of this notification, the expression “outgoing international tourist” shall mean a person not normally resident in India, who enters India for a stay of not more than six months for legitimate non-immigrant purposes.

2. This notification shall deemed to have come into effect from the 1st day of July, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S.D. RICHHARIA, Dy. Secy.